

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 30.09.2021

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल - 16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना कटरा बाजार द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. विनोद कुमार पुत्र सुन्दर लाल नि० रामनरायन पुरवा मौजा बाबूपुर थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 329/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. केशवराम पुत्र शिवनरायन नि० दुर्गागंज थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 308/21, 02. सन्तराम पुत्र शिवराम नि० बल्लीपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 309/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राजू पुत्र लक्ष्मी प्रसाद नि० बडजोरनगर बरौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 161/21, 02. मिनदर पुत्र नन्हू नि० परासपट्टी मझवार पूरे अलगटवा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 162/21, 03. देशराज पुत्र मिनदर नि० परासपट्टी मझवार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 163/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. श्रीमती गेंदा देवी पत्नी रामतेज नि० कटहर बुटहनी थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 301/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. श्रीमती पूनम देवी पत्नी रामदेव नि० नौसहरा मौजा बनगई थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 238/21, 02. राकेश कुमार पुत्र गया प्रसाद नि० मेईदुबे थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-239/21, 03. रामबाबू पुत्र रामसुन्दर नि० दुल्हापुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर

मु0अ0सं0- 241/21, 04. भाने पुत्र मेवालाल सोनकर नि0 लेदईपुरवा मौजा पूरेदतई थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 242/21, 05. तुलसीराम पुत्र स्व0 सीताराम नि0 पूरेमहा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 243/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना को0नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. श्रवन उर्फ भगड़ पुत्र स्व0 नन्दलाल नि0 शास्त्रीनगर तोपखाना थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 15ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 768/21, 02. श्रीमती चन्द्ररानी पत्नी भुसैली नि0 खालेपुरवा थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 771/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

07. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. हसीब पुत्र जलील नि0 लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 245/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 30.09.2021

हार-जीत की बाजी लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 व्यक्ति गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत जुआ खेलने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौड़िया पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर मुन्न पुरवा बगिया के पास से सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल-1010 रुपये नगद एवं ताश के 52 पत्ते बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना कौड़िया में जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. झब्बू पुत्र वशीर नि0 मुन्नपुरवा मौजा मोहनटेपरा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
02. सहजाद खां पुत्र मुन्न खां नि0 मुन्नपुरवा मौजा मोहनटेपरा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
03. मो0 यासीन पुत्र मो0 रजा नि0 मुन्नपुरवा मौजा मोहनटेपरा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
04. वकील मो0 पुत्र मो0 रजा नि0 मुन्नपुरवा मौजा मोहनटेपरा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 197/21, धारा 13 जुआ अधिनियम थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. मु0आ0 अजय प्रताप यादव मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक- 30.09.2021

थाना धानेपुर ने नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त मोनू कोरी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना धानेपुर में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मोनू कोरी पुत्र शिवराम नि0 भदईयाकलां मौजा उज्जैनीकला थाना धानेपुर जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 240/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तारकर्ता-

01. मु0आ0 मुरलीधर मिश्रा मय टीमा।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 30.09.2021

लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस ने लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त सर्वेश गौतम को गिरफ्तार कर लिया। उक्त अभियुक्त एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा थाना वजीरगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सर्वेश गौतम पुत्र करिया गौतम नि० बनकसिया थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 337/21, धारा 363 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ०नि० भानू प्रताप सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 30.09.2021

गैरइरादतन हत्या करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खोड़ारे पुलिस ने गैरइरादतन हत्या करने के वांछित अभियुक्त- विजय कुमार वर्मा को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 03.09.2021 को आपसी विवाद के चलते वादी संजय कुमार वर्मा पुत्र बरसाती वर्मा नि० कूकनगर ग्रण्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के भाई को मारा-पीटा था। जिससे वादी का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया था जिनकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विजय कुमार वर्मा पुत्र गेहई वर्मा नि० कूकनगर ग्रण्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 141/21, धारा 304 भादवि थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ०नि० विश्वास चतुर्वेदी मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 30.09.2021

लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना करनैलगंज पुलिस ने लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त सुजीत को गिरफ्तार कर लिया। उक्त अभियुक्त एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा थाना करनैलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय खाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सुजीत पुत्र शंभू नि० पतरसिया गुंडहा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 336/21, धारा 363 भादवि थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ०नि० बृजेश कुमार गुप्ता मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 30.09.2021

चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार –

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने जनपद मे अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व चोरी की घटनाओं का शीघ्र अनावरण करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

दिनांक 25.09.2021 को वादी रामबली पुत्र बाबूराम नि० महेशपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा की मोटरसाइकिल कटी तिराहा से चोरी हो गयी थी जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना नवाबगंज में अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें नवाबगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उक्त आरोपी अभियुक्त को चोरी की उक्त मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने मोटरसाइकिल चोरी करने की बात स्वीकार की है। अभियुक्त को पंजीकृत अभियोग के तहत माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. दीपू कुमार पुत्र रमेश कुमार नि० मो० कहरान कस्बा व थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 306/21, धारा 379,411 भादवि० थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम –

01. उ०नि० धर्मवीर सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 30.09.2021

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 30.09.2021 को थाना परसपुर के उ०नि० अंकित सिंह मय हमराह द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त- शोभित उपाध्याय को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। जामातलाशी के दौरान उक्त अभियुक्त के कब्जे से 220 टेबलेट अल्प्रामेड 0.50 mg नशीली गोलियां बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना परसपुर में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. शोभित उपाध्याय पुत्र अर्जुन उपाध्याय नि० उपध्ययन पुरवा मौजा मरचौर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 277/21, धारा 8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 220 टेबलेट अल्प्रामेड 0.50 mg नशीली गोलियां।

गिरफ्तार कर्ता-

उ०नि० अंकित सिंह मय टीम।